न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 64 / 2022

उनवान

पप्पू कंवर पत्नी रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मंडियानी, नसीराबाद, हाल नि0 1418 शालीमार कॉलोनी, पुथ्वीराजपुरी, आर्दश नगर, अजमेर।

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गोपाल कंवर पत्नी यतेन्द्र सिंह जाति राजपूत नि0 मंडियानी, नसीराबाद
2. ओम कंवर पत्नी बालेन्दू सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम मंडियानी, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें रणजीत रावत
2 स्वयं व 3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :–

वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंडियानी के हाल खसरा नम्बर 152 रकबा 4.47 अजब कंवर पत्नी जोरावर सिंह की खतेदारी की थी। वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी क्रय की है। हाल खसरा नम्बर 1522 / 2273 रकबा 1.25 ओम कंवर की खातेदारी है तथा हाल खसरा नम्बर 1522 रकबा 3.22 गोपाल कंवर व पप्पू कंवर की खातेदारी है। हाल खसरा नम्बर 1522 / 2273 रकबा 1.25 को वर्तमान नक्शा में मौके की अनदेखी कर डबल रकबा की तरमीम कर दी है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र में सही तरमीम की जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा वाद के तथ्यों को स्वीकार किया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे। प्रकरण में किसी प्रकार का खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि प्रकरण में वाद का खण्डन नही है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया है। अतः आदेश 12 नियम 6 सी0पी0सी0 के प्रावधान अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे। वादी अधिवक्ता ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का हाल मानचित्र की तुलना करने पर त्रुटि स्पष्ट रूप से दिखती है। आराजी [illegible] रकबा जमाबंदी व मौके पर सही है, राजस्व मानचित्र में भी जमाबंदी अनुसार रकबा दर्ज करने से प्रतिवादीगण के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वाद के तथ्यों को स्वीकार किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किया। हाल खसरा नम्बर 1522/2273 रकबा 1.25 ओम कंवर की खातेदारी है तथा हाल खसरा नम्बर 1522 रकबा 3.22 गोपाल कंवर व पप्पू कंवर की खातेदारी है। वादी का कथन है कि राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 1522/2273 की तरमीम त्रुटिपूर्ण तरीके से कर दी गयी है तथा उसका रकबा मानचित्र में अधिक कर दिया है। जिस कारण वादी को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी स्वीकारोक्ति पेश की है। राज0 पैरोकार ने ऐसे कोई तथ्य पेश नही किये है जिससे वाद पत्र के तथ्यों का खण्डन होता हो। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से प्रतिवादीगण के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा।

अतः ग्राम मडियानी के हाल खसरा नम्बर 1522/2273 रकबा 1.25 व 1522 रकबा 3.22 पर वादी का वाद पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल राजस्व मानचित्र की मौका जाचें कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करावे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पप्पू कंवर गोपाल कंवर

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 64 / 2022
पेश करने की दिनांक – 23.05.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मडियानी के हाल खसरा नम्बर 1522 / 2273 रकबा 1.25 व 1522 रकबा 3.22 पर वादी का वाद पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल राजस्व मानचित्र की मौका जाचॅ कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करावे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 04 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:31 IST
Reason: SelfAttested